राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर
वित भवन 'ए' ब्लॉक, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर–302005
दूरभाष 0141–2740735,,ई मेल:jacct.dta@rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.4(ई)(1)(6)/भर्ती(2023)अलेसे–III/6803 दिनांक :– 04-09-2025

आदेश

विभागीय आदेश दिनांक 17.07.2025 द्वारा नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकारों को विभिन्न विभागों निगम, बोर्ड आदि में पदस्थापन किया गया था। जिसके क्रम में कनिष्ठ लेखाकारों द्वारा दिनांक 18.07.2025 को मध्याह्न पश्चात कार्यमुक्त होकर दिनांक 21.07.2025 को नवीन आवंटित कार्यालयों में कार्यग्रहण किया गया।

इस संबंध में प्रायः देखने में आ रहा है कि कार्मिको के दिनांक 19.07.2025 एवं 20.07.2025 को राजपत्रित अवकाश अवधि के वेतन आहरण में समस्या उत्पन्न हो रही है। उक्त अवधि के वेतन का भुगतान ना ही कोषालय एवं ना ही वर्तमान पदस्थापित कार्यालय के द्वारा किया जा रहा है।

अतः उक्त अवधि के वेतन के संबंध में संबंधित समस्त कोषाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि जिन कनिष्ठ लेखाकारों का पदस्थापन एक्स कैडर कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर किया गया है, उनका दिनांक 19.07.2025 एवं 20.07.2025 का वेतन संबंधित कोषालय के द्वारा आहरित किया जाना सुनिश्चित करावें। उक्त के अतिरिक्त भी यदि कार्मिको के उपरोक्त अवधि के वेतन आहरण में समस्या उत्पन्न हो रही है तो ऐसे समस्त प्रकरणों में कार्मिको का वेतन संबंधित कोषालय के द्वारा ही आहरित किया जाना सुनिश्चित करावें।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ.4(ई)(1)(6)/भर्ती(2023)अलेसे–III/6803 दिनांक :– 04-09-2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.................................।
2. संबंधित कोषाधिकारी..।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार..।
5. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक II/III)